FAQs on e-KYC & Facial Recognition System (FRS) for Take-Home Ration

1. **What is the Facial Recognition System (FRS)?**

FRS stands for Facial Recognition System which is a technology for Aadhaar based biometric authentication of the beneficiaries. FRS has been introduced by the Ministry of Women and Child Development for last mile tracking of Take-Home Ration (THR) to ensure that services are provided only to the genuine beneficiaries.

2. **How does FRS work while collecting Take-Home Ration?**

FRS is completed in two steps:

Step 1: One-time e-KYC (One Time)

- Anganwadi Worker enters the Aadhaar number and registered mobile number in the Poshan Tracker application.
- An OTP is received on the registered mobile number which is entered back into the app by the worker to complete e-KYC.
- As part of this step, a live photo of the beneficiary is also captured which is matched with the Aadhaar photo at the backed to verify beneficiary's identity.

Step 2: Face Matching (Monthly or every time THR is collected)

- At the time of THR distribution, a fresh photo of the beneficiary is captured and matched with the already stored verified image.
- Upon successful face matching, FRS is completed and THR is distributed to the right beneficiary.
- Face matching is enabled in offline mode, allowing verification even without internet connectivity.

3. **What are the benefits of introducing FRS for THR distribution?**

- Ensures THR reaches the rightful beneficiary through face-based identity verification.
- Prevents duplication, misuse, leakage, and diversion of supplementary nutrition.
- Makes THR distribution transparent and fair, building trust among beneficiaries and frontline workers.

4. **Do children also need face verification to get Take-Home Ration?**

- No. Children below 6 years of age DO NOT need to undergo FRS for THR distribution.
- THR for children is given based on the face authentication of the mother, father, or guardian.

- No photograph of the child is required.

5. **What should a beneficiary do if e-KYC or FRS does not work?**

- Request photo re-capture if face matching fails during THR distribution.
- Call the POSHAN Helpline 1515 (earlier 14408).
- Inform the Supervisor/CDPO for additional support.

6. **What if a beneficiary cannot visit the Anganwadi Centre for receiving THR through FRS?**

- If a beneficiary (pregnant woman, lactating mother, or adolescent girl) is unable to visit the Anganwadi Centre for any reason, she may send a nominated person (nominee) to collect the Take-Home Ration (THR) on her behalf.
- The nominee will undergo FRS before receiving the beneficiary's THR.
- The Anganwadi Worker will assist in adding the nominee to the Poshan Tracker.

7. **How is beneficiary data kept safe?**

Beneficiary data is protected under data protection laws, including the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

Key safeguards include:

- Consent from beneficiary is taken before e-KYC/FRS.
- Data is accessible only to authorised officials.
- The Poshan Tracker database is secure.
- Face verification data
- Images used for face matching cannot be copied or misused.
- No photos or data are permanently stored on mobile devices; temporary data is deleted after logout.

8. **What is the role of Anganwadi Workers and Supervisors in FRS?**

Anganwadi Workers

- Complete one-time e-KYC and take live photos for face matching at the time of THR distribution.
- Provide THR after successful verification.
- Use offline mode in low-network areas.
- Report technical issues to Supervisors.

Anganwadi Supervisors

- Support AWWs in troubleshooting and validation.

- Monitor progress of e-KYC and FRS.
- Ensure data accuracy and timely reporting.
- Escalate unresolved issues to higher levels.

ई-केवाईसी एवं फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) द्वारा टेक-होम राशन (THR) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. **फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) क्या होता है?**

फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) एक तकनीक है, जिसके ज़रिए आधार से लाभार्थियों की पहचान की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन (THR) की अंतिम स्तर तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू किया है , ताकि सेवाएँ केवल वास्तविक और सही लाभार्थियों को ही पहुँचें।

2. **FRS के ज़रिए टेक-होम राशन प्राप्त करने के आवश्यक कदम क्या हैं ?**

चरण 1: ई-केवाईसी (केवल एक बार)

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी का आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है , जिसे ऐप में दर्ज करने पर ई-केवाईसी पूरा हो जाता है।
- इसके बाद लाभार्थी की एक लाइव फोटो ली जाती है , जिसे आधार फोटो से मिलान कर लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाती है।

चरण 2: FRS – फेस मैचिंग (हर महीने या जब भी टेक-होम राशन लिया जाए)

- टेक-होम राशन वितरण के समय लाभार्थी की एक नई फोटो ली जाती है और उस फोटो का मिलान पहले से सत्यापित फोटो से किया जाता है।
- सफल फेस मैचिंग के बाद फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) पूरा हो जाता है और एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है।
- फेस मैचिंग की प्रक्रिया इंटरनेट के बिना भी (ऑफलाइन मोड में) की जा सकती है।

3. **टेक-होम राशन (THR) के वितरण में FRS अपनाने से क्या फायदे होते हैं?**

- फेस पहचान से यह सुनिश्चित होता है कि टेक-होम राशन (THR) सही लाभार्थी को ही मिले और गलत इस्तेमाल व दोहराव रुके।
- इससे THR वितरण साफ़, पारदर्शी और भरोसेमंद बनता है।

4. **क्या बच्चों के लिए FRS आवश्यक है?**

- नहीं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए FRS नहीं किया जाता।
- बच्चों का THR उनके माता-पिता या अभिभावक के फेस वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है।

5. **यदि FRS में कोई समस्या आए तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए ?**

- यदि फेस पहचान में समस्या आए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से दोबारा फोटो लेने का अनुरोध करें।
- सहायता के लिए पोषण हेल्पलाइन 1515 पर कॉल करें।
- आवश्यक होने पर आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र/सीडीपीओ को सूचित किया जाए।

6. **यदि लाभार्थी स्वयं आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित न हो सके , तो FRS द्वारा उसको उसका THR कैसे मिलेगा?**

- यदि कोई लाभार्थी (गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माँ या किशोरी) किसी कारण से आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आ पा रही है, तो वह अपने स्थान पर किसी नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को THR लेने के लिए भेज सकती है।
- THR लेने से पहले नॉमिनी का भी FRS किया जाएगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोषण ट्रैकर ऐप में नॉमिनी का नाम दर्ज़ करने में सहायता करेंगी।

7. **लाभार्थियों का डेटा सुरक्षित कैसे रखा जाता है?**

लाभार्थियों का डेटा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सहित लागू डेटा संरक्षण कानूनों के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं:

- ईकेवाईसी और FRS से पहले लाभार्थी की सहमति ली जाती है।

- डेटा का उपयोग केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी ही कर सकते हैं।
- पोषण ट्रैकर एवं चेहरा सत्यापन से संबंधित डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
- फोटो को कॉपी या इसका गलत उपयोग नहीं किया जा सकता।
- मोबाइल में कोई जानकारी हमेशा के लिए नहीं रहती; लॉग-आउट करने पर अस्थायी जानकारी मिट जाती है।

8. **FRS में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइज़र की क्या भूमिका है?**

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

- एक बार ईकेवाईसी पूरा करना और हर बार चेहरा सत्यापन के लिए फोटो लेना।
- सफल पुष्टि के बाद THR देना।
- कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ऑफलाइन मोड का उपयोग करना।
- तकनीकी समस्याओं को सुपरवाइज़र को बताना।
- पोषण ट्रैकर में सेवाओं का रिकॉर्ड रखना।

सुपरवाइज़र

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएँ हल करने और जांच/पुष्टि में मदद करना।
- ईकेवाईसी और FRS की प्रगति पर नजर रखना।
- डेटा सही और समय पर रिपोर्ट होने को सुनिश्चित करना।
- जो समस्याएँ हल नहीं होतीं, उन्हें ऊपरी स्तर तक भेजना।